एक अप्रिय कमी: अदालतों में रिक्तियों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

17 नवम्बर, 2018

''निचली अदालतें, महत्वपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन, रिक्तियों के बोझ के तले नहीं दबा रहना चाहिए।''

न्यायपालिका में तेजी से बढ़ते लंबित मामलों की समस्या केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी की वजह से नहीं, बल्कि इसकी असली वजह वर्षों से चली आ रही न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कमी और अदालतों की कमी है, जिनकी वे अध्यक्षता करते हैं।

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निचली अदालतों में नियुक्तियों के लिए वर्ष 2007 में दिए गये दिशानिर्देश के एक दशक से अधिक समय बाद, अब इसी तरह की एक समस्या उच्चतम न्यायालय के समक्ष वापस आ गया है। तत्काल संदर्भ अधीनस्थ अदालतों में 5,000 से अधिक रिक्तियों से संबंधित है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने इन रिक्तियों को भरने में देरी के लिए राज्य सरकारों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के प्रशासन को जिम्मेदार माना है। राज्यसभा में दिए गए जवाबों से पता चलता है कि 31 मार्च, 2018 तक, अधीनस्थ अदालतों में कुल पदों की लगभग एक चौथाई खाली थे।

अदालत ने 22,036 स्वीकृत पदों पर वास्तविक आंकड़ा 5,133 दिया है जो रिक्त पड़े हुए हैं। राज्यवार आंकड़े और भी गंभीर प्रतीत होते हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में रिक्ति पदों की प्रतिशतता क्रमशः 42.18% और 37.23% है। छोटे राज्यों की स्थिति पर गौर करे तो हम पाएंगे की, मेघालय में रिक्ति पदों की प्रतिशतता 59.79% है।

कोर्ट ने एक अधिकारी से कहा कि आपने अब तक पद का सृजन तक नहीं किया है। चीफ जस्टिस ने यूपी में न्यायपालिका में एक हजार रिक्तियों को नोट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि ये नियुक्तियां हो जाएं। यूपी में उच्चतर न्यायपालिका में 394 पद खाली हैं जिसमें 364 भरे जा चुके हैं।

2019 तक 125 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी, तब कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त हैं कि नहीं, क्या राज्य सरकार जून 2019 तक 371 कोर्ट रुम उपलब्ध करा देगा। कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वर्तमान जज हैं उनके रिटायर होने पर होने वाली रिक्तियों पर भी राज्य सरकार गौर करे।

हांलाकि, इसके कारणों का आकलन करना कतई मुश्किल नहीं है अर्थात आवेदनों की प्रक्रिया में गहरी शिथिलता, भर्ती के लिए परीक्षाओं के आयोजन और परिणामों की घोषणाओं को रोकना और सबसे महत्त्वपूर्ण कि नए नियुक्त न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को भुगतान और समायोजित करने के लिए इधर उधर वित्त ढूंढना। जबकि, लोक सेवा आयोगों को इन न्यायाधीशों की सहायता के लिए कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए और राज्य सरकारों को अदालतों को बनाने या उनके लिए जगह की पहचान करनी चाहिए।

संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से गवर्नर द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाता है।

असल में, उच्च न्यायालयों द्वारा इसमें विशेष भूमिका निभाई जाती है। नियुक्तियों को सुचारू रूप से और समयबद्ध प्रक्रिया के रूप में ढालने के लिए उच्च न्यायालयों और राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होगी।

पिछले साल कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र द्वारा जारी एक अध्ययन से पता चलता है कि ज्यादातर राज्यों में भर्ती का चक्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से अधिक है। इस समय सीमा दो स्तरीय भर्ती प्रक्रिया के लिए 153 दिन और तीन-स्तरीय प्रक्रिया के लिए 273 दिन लगता है।

अधिकांश राज्यों ने सीधी भर्ती द्वारा जूनियर सिविल न्यायाधीशों के साथ-साथ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में अधिक समय लगाया है। इस स्थिति में जनशक्ति और संसाधन दोनों के बड़े पैमाने पर सहयोग की मांग है।

अधीनस्थ न्यायालय सबसे महत्त्वपूर्ण न्यायिक कार्य करते हैं जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं अर्थात ट्रायल आयोजित करना, नागरिक विवादों को सुलझाना और कानून को लागू करना। आवश्यक मानव और वित्तीय संसाधनों को आवंटित करने में कोई भी विफलता अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य को अपंग बना सकती है।

अदालतों में नियुक्तियों की समस्या

- हाल ही में निचली अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने और उनके लिये समुचित आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने में विभिन्न उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के लचर रवैये पर उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को नाखुशी जाहिर की है।
- उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, इलाहाबाद और कलकत्ता हाईकोर्ट को समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां नहीं करने पर फटकार लगाई है।
- सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और सार्वजनिक सेवा आयोगों को जिम्मेदार बनाएंगे।

मुख्य बिंदु

- प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के.एम.जोसेफ की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों के 5000 से अधिक पद रिक्त होने का स्वत: संज्ञान लेते हुए सभी 24 उच्च न्यायालयों और 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सुधार के उपायों की शीर्ष अदालत को जानकारी दें।
- देशभर की अदालतों में जजों के 6379 हजार पद खाली हैं। वहीं देशभर की अदालतों में 2.60 करोड़ मामले लंबित पड़े हुए हैं। सबसे अधिक यूपी की अदालतों में 6049151 केस लंबित हैं।

सर्वोच्च न्यायालय

- संघात्मक शासन के अंतर्गत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय का होना आवश्यक बताया जाता है। भारत भी एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ भी एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपति का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है।
- भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया और भारत के गणतंत्र बनने के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी, 1950 को इसने काम करना प्रारंभ किया।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन

- संविधान के अनुसार भारत की शीर्ष न्यायपालिका यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक-से-अधिक सात न्यायाधीश होते हैं।
- संसद् कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। न्यायाधीशों की संख्या में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है। वर्ष 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18 तथा 1986 में 26 तक की वृद्धि कर दी गयी।
- वर्तमान समय में उच्चत्तम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश (कुल 31 न्यायाधीश) हैं। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- इस अनुच्छेद के अनुसार "राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।"
- इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश से जरुर परामर्श किया जाएगा।
- संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की परम्परा रही है। हालाँकि संविधान इस पर खामोश है। पर इसके दो अपवाद भी हैं अर्थात् तीन बार वरिष्ठता की परम्परा का पालन नहीं किया गया।
- एक बार स्वास्थ्यगत कारण व दो बार कुछ राजनीतिक घटनाक्रम के कारण ऐसा किया गया। 6 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में निचली अदालतों में रिक्तियों को भरने में देरी के संबंध में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित पीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस पीठ ने रिक्तियों के भरने में हो रही देरी के लिये राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालय के प्रशासन को उत्तरदायी माना है।
2. इस पीठ ने उच्चतम न्यायालय के रोस्टर तंत्र को समाप्त करने की सिफारिश भी की है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

2. 'सर्वोच्च न्यायालय' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

1. भारतीय राज्यों का प्रत्येक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से पदसोपान में ऊपर होता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है।
3. संविधान के अनुच्छेद-124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी शामिल है।

नीचे दिये गये कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

3. उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार से न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है?

(a) प्रधानमंत्री के आदेश द्वारा

(b) केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा

(c) संसद द्वारा कानून बनाकर

(d) केवल मंत्रिपरिषद के आदेश द्वारा

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. अधीनस्थ न्यायालय महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं किंतु यह न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी का दंश झेल रहे हैं। इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताते हुए इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो रही देरी के कारणों की चर्चा कीजिए।

(शब्द-250)

नोट :

16 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) और 2(b) होगा।